

अध्याय 12

प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं

डिजिटल तकनीक, पारदर्शिता व जवाबदेही से नागरिक-केंद्रित शासन की ओर राजस्थान

शुरुआत एक कहानी से

सोचिए — किसी गांव में रहने वाली एक महिला को अपने बच्चे का जन्म-प्रमाण पत्र चाहिए, राशन कार्ड बनवाना है और किसी सरकारी योजना का लाभ भी लेना है। पहले उसे कई दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। आज वही महिला अपने गांव के ई-मित्र केंद्र पर जाकर, या मोबाइल से ही, अपना **जन आधार कार्ड** दिखाकर यह सारे काम कुछ ही मिनटों में करवा सकती है।

यही है "**प्रभावी शासन**" (Effective Governance) की असली पहचान — सिर्फ अच्छी नीतियां बनाना काफी नहीं, बल्कि उन्हें समय पर, पारदर्शी तरीके से और हर आखिरी नागरिक तक पहुंचाना ज़रूरी है। इसी सोच के साथ राजस्थान सरकार ने डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा-विश्लेषण के सहारे शासन को नागरिकों के करीब लाने का बड़ा अभियान चलाया है — इसी की पूरी कहानी इस अध्याय में है।

विषय-सूची

- | | |
|---|--|
| 01. प्रभावी शासन के तीन स्तंभ एवं SMART परियोजना | 10. किसानों हेतु तकनीकी पहलें (राज-AIMS, राज किसान साथी आदि) |
| 02. जन आधार योजना — "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" | 11. स्थानीय स्वशासन (LSG) की ऑनलाइन सेवाएं |
| 03. राजस्थान संपर्क (181), RGDPs व RTH अधिनियम, त्रिस्तरीय जनसुनवाई | 12. पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र (राज-काज, राज ई-साइन आदि) |
| 04. ई-मित्र एवं ई-मित्र प्लस | 13. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व RajCAD |
| 05. जन सूचना पोर्टल | 14. भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) — राजधारा |
| 06. आईस्टार्ट (iStart) — स्टार्टअप इकोसिस्टम | 15. ई-प्रोक्योरमेंट, डेटा एनालिटिक्स व क्षमता निर्माण |
| 07. राज SSO (सिंगल साइन-ऑन) | 16. राजस्थान AI/ML नीति 2026 |
| 08. राज ई-वॉल्ट (Raj e-Vault) | 17. प्रभावी वित्तीय प्रबंधन — IFMS 3.0 |
| 09. AVGC-XR नीति 2024 | |

1 प्रभावी शासन के तीन स्तंभ

प्रभावी शासन (Effective Governance) का मतलब सिर्फ अच्छी नीति बनाना नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि उस नीति को कितनी अच्छी तरह लागू किया गया और उसका नतीजा क्या निकला। इसका मूल मंत्र है — सार्वजनिक सेवाओं की समय पर डिलीवरी, सरकारी संसाधनों का सही उपयोग, और समावेशी विकास जिसमें "**कोई भी पीछे न छूटे**" (No One Left Behind)।

आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाओं के तीन मुख्य स्तंभ (Three Pillars) हैं :

 स्तंभ 1 IT-सक्षम नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण	 स्तंभ 2 पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र	 स्तंभ 3 प्रभावी वित्तीय प्रबंधन
--	---	--

SMART परियोजना — कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सेवा वितरण

SMART परियोजना

 **परिभाषा :** Service Management with Artificial Intelligence and Real Time System — कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व मशीन लर्निंग (ML) की मदद से नागरिक सेवा वितरण के अनुभव को बेहतर बनाने की परियोजना।

 **आसान भाषा में :** सरकार अब कंप्यूटर की "समझदारी" (AI) का उपयोग करके खुद पता लगा लेती है कि कौन नागरिक किस योजना का पात्र है, उसे खुद ही उस योजना में शामिल कर देती है, और बिना नागरिक के बार-बार आवेदन किए उसे लाभ पहुंचा देती है — यानी मैनुअल (हाथ से किए जाने वाले) कामकाज को कम से कम किया जाता है।

 **उदाहरण :** जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति को पेंशन योजना के लिए अलग से आवेदन ही न करना पड़े — सरकार का सिस्टम उसका डेटा देखकर खुद ही उसे पात्र पाकर पेंशन शुरू कर दे।

विभिन्न सरकारी विभाग नागरिक-केंद्रित सेवाएं देने के लिए योजनाओं से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर अलग-अलग डेटा-सेट बनाते हैं। इन बिखरे हुए डेटा-सेट्स का बेहतर उपयोग करने के लिए निम्न चरण अपनाए गए हैं :

- 1. डेटा लेक (Data Lake) का निर्माण** — सभी विभागों के अलग-थलग (silos) डेटा को तोड़कर एक केंद्रीकृत डेटा-भंडार बनाना।
- 2. गोल्डन रिकॉर्ड (Golden Record) का गठन** — हर नागरिक के लिए एक ही "सत्य का स्रोत" (Single Source of Truth) तैयार करना, ताकि अलग-अलग जगह अलग-अलग जानकारी न रहे।
- 3. नागरिकों/परिवारों की 360° प्रोफाइलिंग** — हर परिवार की योजना-पात्रता, खर्च व आय का एक ही एकीकृत लेजर (ledger) तैयार करना।
- 4. स्वचालित सेवा वितरण (Auto Service Delivery)** — निम्न क्रम में स्वतः प्रक्रिया :
 - पात्र लाभार्थी की स्वतः पहचान → लाभ लेने की सहमति हेतु स्वतः सूचना → सहमति मिलने पर स्वतः आवेदन जमा → उपलब्ध डेटा के आधार पर सिस्टम-चालित स्वतः अनुमोदन → संबंधित विभाग द्वारा लाभ/सेवा की स्वतः प्रदायगी शुरू → डेटा से मिली जानकारी के आधार पर मौजूदा योजनाओं में सुधार के सुझाव।

जन आधार योजना — "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान"

राज्य में "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" की विचारधारा को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के नकद व गैर-नकद लाभ सरल, आसान व पारदर्शी तरीके से नागरिकों तक पहुंचाने के लिए "राजस्थान जन आधार योजना" चलाई जा रही है।

1. राजस्थान जन आधार योजना

 प्रतियोगिता योजना |  राज्य योजना

 शुरुआत	18 दिसंबर, 2019 को राज्य में लॉन्च (वित्तीय वर्ष 2019-20)।
 कानूनी आधार	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 तथा जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 (लागू — 4 अगस्त 2021)।

 प्रशासनिक ढांचा	नोडल विभाग — आयोजना विभाग; क्रियान्वयन एजेंसी — राजस्थान जन आधार प्राधिकरण; ज़िला स्तर पर ज़िला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी; तकनीकी सहयोग — राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL)।
 राशन कार्ड का दर्जा	अधिनियम की धारा 40 के तहत 5 अप्रैल, 2022 को राज्य के "जन आधार कार्ड" को राशन कार्ड घोषित किया गया — यानी अब दो अलग कार्ड एक ही कार्ड में समाहित हो गए हैं।
 कवरेज	राज्य की करीब 97% अनुमानित जनसंख्या का सामाजिक-आर्थिक डेटा सम्मिलित — देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरेक्टरी।
 पोर्टल एकीकरण	जन आधार पोर्टल से 199 से अधिक योजनाएं व सेवाएं एकीकृत (165 कल्याणकारी योजनाएं + 34 अन्य सेवाएं)।

 पंजीकृत परिवार 2.06 करोड़	 पंजीकृत सदस्य 7.95 करोड़	 कुल लेन-देन 206 करोड़ (नकद व गैर-नकद)	 कुल नकद लाभ (DBT) ₹1.29 लाख करोड़
--	---	---	--

(आंकड़े दिसंबर 2025 तक के हैं। इसके अतिरिक्त, जन आधार के माध्यम से डुप्लिकेट व फर्जी लाभार्थियों की छंटनी होने से सरकारी खजाने की **प्रतिवर्ष ₹500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत** भी होती है।)

जन आधार की प्रमुख विशेषताएं

- ▶ **एक पहचान संख्या** — नामांकित परिवार को 10 अंकों की पहचान संख्या, और मुखिया सहित परिवार के हर सदस्य को 11 अंकों की अलग पहचान संख्या।
- ▶ **पहचान व संबंध का प्रमाण** — यह संख्या पहचान, पते और परिवार-मुखिया के साथ सदस्यों के रिश्ते — तीनों के प्रमाण के रूप में अधिकृत है।
- ▶ **महिला सशक्तिकरण** — परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला को परिवार-मुखिया बनाया जाता है (योग्य महिला न होने पर 21+ वर्ष का पुरुष मुखिया हो सकता है), और उसका बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- ▶ **वित्तीय समावेशन** — परिवार के सभी नकद लाभ अनिवार्य रूप से महिला-मुखिया के बैंक खाते में ही स्थानांतरित होते हैं, जिससे महिलाओं का बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ाव बढ़ता है।
- ▶ **अपात्र व डुप्लिकेट लाभार्थियों की पहचान** — अधिनियम के अनुसार अब कोई भी विभाग अपना अलग लाभार्थी डेटाबेस नहीं बनाएगा, बल्कि लाभ वितरण के लिए जन आधार डेटाबेस से ही एकीकरण के ज़रिए डेटा लेना अनिवार्य है — इससे एक समान मास्टर डेटाबेस तैयार हुआ जिसने डुप्लिकेट व फर्जी लाभार्थियों की सटीक पहचान में मदद की।
- ▶ **घर बैठे लाभ-प्रदायगी** — नकद लाभ सीधे बैंक खातों में और गैर-नकद लाभ आधार-प्रमाणीकरण के बाद घर के नज़दीक ही उपलब्ध कराए जाते हैं।
- ▶ **एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस** — राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास निवासियों को नकद व गैर-नकद, दोनों प्रकार की सेवा-वितरण के लिए एक ही बहुउद्देशीय डेटाबेस उपलब्ध है, जो परिवार के 60 से अधिक मापदंडों (parameters) को कवर करता है।
- ▶ **ई-मित्र प्राधिकरण के अधिकार-क्षेत्र में** — जन आधार को धारा-20 के तहत ई-मित्र प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है।

अन्य डेटाबेस/पोर्टल से एकीकरण ("एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" की दिशा में कदम)

- ▶ **राशन कार्ड डेटाबेस** — पूर्णतः एकीकृत; अब जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड है।
- ▶ **मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी)** — छद्म (फर्जी) मतदाताओं की पहचान हेतु।
- ▶ **स्वावलंबन पोर्टल** — विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) की पहचान हेतु।

- ▶ **पहचान पोर्टल** (राज्य का जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीकरण पोर्टल) — राज्य की जनसंख्या की वास्तविक-समय (real time) में जानकारी हेतु, जिससे जन आधार भी जनसंख्या की गणना वास्तविक समय में कर पाता है।
- ▶ **स्वास्थ्य संबंधित डेटा** (जैसे PCTS, NFHS, आभा कार्ड आदि) — स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़ी विसंगतियों की निगरानी व समाधान हेतु।
- ▶ इसके अतिरिक्त प्राधिकरण अन्य कार्डों — जैसे विभिन्न कल्याणकारी कार्ड, श्रमिक कार्ड, यूडीआईडी (UDID) कार्ड आदि — को भी एकीकृत करने का सतत प्रयास कर रहा है।

3 समयबद्ध सेवा-वितरण व शिकायत निवारण तंत्र

राजस्थान संपर्क (181) — मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

राजस्थान संपर्क एक केंद्रीकृत मंच है जहां राज्य का कोई भी नागरिक टोल-फ्री नंबर **181** डायल कर संबंधित विभागों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह मुख्यतः एक राज्य-स्तरीय कॉल सेंटर है जो एक एकीकृत वेब पोर्टल के साथ नागरिकों की शिकायतों के समाधान हेतु एकल संपर्क-बिंदु (single point of contact) का काम करता है।

 पंजीकृत शिकायतें (2025) 34.43 लाख	 निस्तारित शिकायतें 33.88 लाख (98% से अधिक)
---	---

- ▶ राजस्थान संपर्क (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181) कॉल सेंटर, **157 विभागों/कार्यालयों**, **96 ब्यूरो/बोर्ड/आयोग/निगम व संघों**, तथा **52 संस्थानों/अकादमी व विश्वविद्यालयों** से संबद्ध है।
- ▶ **राजस्थान संपर्क 2.0** — 23 मार्च, 2025 को लॉन्च किया गया। यह एक केंद्रीकृत अगली-पीढ़ी (next-generation) की शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसमें वास्तविक-समय निगरानी (real-time monitoring), डेटा-आधारित निरीक्षण और विभागों में सेवा-वितरण की सुगमता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

RGDPS अधिनियम, 2011 — राजस्थान लोक सेवाओं का गारंटीशुदा वितरण अधिनियम

RGDPS अधिनियम

 **परिभाषा** : Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011 — निश्चित समय-सीमा के भीतर नागरिकों को सरकारी सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने वाला अधिनियम।

 **आसान भाषा में** : इस कानून के तहत हर अधिसूचित सेवा के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी तय किया जाता है, और अगर वह अधिकारी तय समय के भीतर नागरिक को सेवा नहीं देता, तो उस पर जुर्माना लग सकता है — यानी यह सरकार को "समय पर काम करने" के लिए जवाबदेह बनाता है।

 **उदाहरण** : जैसे किसी नागरिक ने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और तय समय (जैसे 15 दिन) में वह नहीं मिला, तो संबंधित अधिकारी पर विलंब के लिए दंड लगाया जा सकता है।

 अधिसूचित विभाग 28	 अधिसूचित सेवाएं 306	 प्राप्त आवेदन (2025) 1.78 करोड़	 निस्तारित आवेदन 1.76 करोड़ (98% से अधिक)
---	---	---	---

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम (RTH), 2012

इस अधिनियम के तहत नागरिकों को अपनी बात/शिकायत को अधिकारियों के समक्ष सुनवाई हेतु रखने का कानूनी अधिकार मिलता है। वर्ष 2025 (दिसंबर तक) कुल **84,099 आवेदन** प्राप्त हुए, जिनमें से **84,048 आवेदनों** का निस्तारण किया जा चुका है।

त्रिस्तरीय जनसुनवाई प्रणाली

शासन को बेहतर बनाने और सार्वजनिक शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए एक मजबूत प्रणाली तैयार करने हेतु राज्य सरकार ने **त्रिस्तरीय जनसुनवाई प्रणाली** शुरू की है, जो **जिला, ब्लॉक (अटल जन सेवा शिविर) और ग्राम पंचायत** — तीन स्तरों पर संरचित है। यह नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच सीधे संवाद को सुनिश्चित करती है, जिससे प्रशासन में जवाबदेही बढ़ती है।

ग्राम पंचायत व ब्लॉक स्तर

- ▶ सरपंच व स्थानीय अधिकारी नियमित सत्र आयोजित कर शिकायतें सुनते व सुलझाते हैं।
- ▶ ग्राम स्तर पर हल न होने वाली शिकायतें ब्लॉक स्तर के अधिकारियों तक भेजी जाती हैं।
- ▶ ब्लॉक विकास अधिकारी व अन्य ब्लॉक अधिकारी इन मुद्दों का समाधान करते हैं।

जिला स्तर

- ▶ जिला कलेक्टर व वरिष्ठ अधिकारी शिकायतों को संबोधित व निस्तारित करते हैं।
- ▶ जांच की निगरानी, स्थिति की समीक्षा व सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- ▶ माननीय मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री भी समय-समय पर जनसुनवाई सत्रों में सक्रिय भागीदारी करते हैं।

तालिका 12.1 : वर्ष 2025 में शिकायतों की स्थिति (पंजीकृत व निस्तारित)

क्र.सं.	स्तर	पंजीकृत शिकायतें	निस्तारित शिकायतें	निस्तारण प्रतिशत
1	जिला स्तर	19,169	19,157	99.93%
2	अटल जन सेवा शिविर (ब्लॉक स्तर)	25,975	25,913	99.76%
3	ग्राम पंचायत स्तर	1,20,567	1,20,404	99.86%

4 ई-मित्र एवं ई-मित्र प्लस

2. ई-मित्र (e-Mitra)

प्रलैगशिप योजना | सतत/जारी कार्यक्रम

शुरुआत	राजस्थान ने वर्ष 2002 में देश का सबसे बड़ा एकल एकीकृत सेवा-वितरण प्लेटफॉर्म "ई-मित्र" लॉन्च किया।
उद्देश्य	सभी सरकारी व निजी नागरिक-केंद्रित सेवाओं को पारदर्शी व किफायती तरीके से आम आदमी की दहलीज़ तक पहुंचाना — खासकर ग्रामीण इलाकों के निवासियों को IT-सक्षम सेवा-वितरण इंटरफेस से जोड़ना।
उपलब्धता	वेब आधारित ई-मित्र एप्लिकेशन, मोबाइल ऐप और IT-सक्षम भौतिक कियोस्क — तीनों माध्यमों से उपलब्ध। वर्तमान में 78,000 से अधिक ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं।
नई सुविधाएं	बहुभाषी बातचीत-आधारित AI चैटबॉट व व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेवा-वितरण शुरू किया गया है। दिसंबर 2025 में 10 नई सेवाएं (9 सरकारी क्षेत्र की G2C सेवाएं + 1 टैक्सबडी की B2C सेवा) पोर्टल पर जोड़ी गईं।

3. ई-मित्र प्लस (e-Mitra Plus)

 प्रतैगशिप योजना |  राज्य योजना

 विशेषता	नागरिकों को कई कार्यालयों में जाए बिना सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच देने के लिए, यह भारत में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप (जैसे ATM की तरह) के e-सेवा वितरण का पहला अग्रणी कदम है।
 सुविधाएं	85 से अधिक सेवाएं; नागरिक सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर बिल्ट-इन प्रिंटर से उन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं। नकद, डेबिट/क्रेडिट कार्ड व नेट-बैंकिंग सहित कई भुगतान विकल्प उपलब्ध।
 वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग	ग्राम पंचायत स्तर तक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा — जनसुनवाई, सरकारी योजनाओं की जानकारी का प्रसार, राज्य कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण।
 शैक्षणिक सामग्री	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए करीब 2,500 शैक्षणिक वीडियो भी उपलब्ध कराए गए हैं।
 विस्तार	राज्यभर में कुल 14,891 ई-मित्र प्लस कियोस्क स्थापित किए जा चुके हैं।

5 जन सूचना पोर्टल

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 की धारा 4(2) के अनुरूप विकसित किया गया **जन सूचना पोर्टल**, विभिन्न सरकारी योजनाओं की पात्रता, उपलब्धियों व नोडल विभाग की जानकारी एक ही जगह, सरल, पारदर्शी व भरोसेमंद तरीके से उपलब्ध कराने वाला एकल मंच है।

 विभाग	 योजनाएं	 सूचना के प्रकार
117	351	749

याद रखें :

जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को बिना RTI आवेदन किए ही, सीधे और पारदर्शी ढंग से सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है — यह सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना को स्वतः (proactive disclosure) के रूप में आगे बढ़ाता है।

6 आईस्टार्ट (iStart) — स्टार्टअप इकोसिस्टम

राज्य सरकार ने स्टार्टअप से जुड़ी समस्त जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए वेब पोर्टल **www.istart.rajasthan.gov.in** स्थापित किया है। यह पोर्टल स्टार्टअप नीति के तहत निर्धारित सभी प्रोत्साहनों के लिए एकल-प्रवेशद्वार (one-stop gateway) है, और सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप्स, मेंटर्स व प्रशासकों को आईस्टार्ट कार्यक्रम की निगरानी व पहुंच के लिए एक डैशबोर्ड भी उपलब्ध कराता है।

- **बिज़नेस इनोवेशन प्रोग्राम (BIP)** जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू कर स्टार्टअप इकोसिस्टम की पहुंच व प्रभाव को समाज के अलग-अलग वर्गों तक और अधिक विस्तारित किया गया है।

- ▶ वर्ष 2025-26 (दिसंबर तक) पोर्टल पर कुल **7,382 पंजीकरण** हो चुके हैं।
- ▶ पोर्टल के प्रमुख घटक — **क्यू-रेट रैंकिंग सिस्टम, इनक्यूबेटर, इनोवेशन चैलेंज एंड अवार्ड**, तथा **आईस्टार्ट नेस्ट**।
- ▶ **इनक्यूबेटर** पहले ही जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, चुरू, पाली, जोधपुर व उदयपुर — इन 8 जिलों में स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर व कोटा में **इनोवेशन हब** भी कार्यरत हैं।
- ▶ स्टार्टअप कार्यक्रम के और विस्तार हेतु **स्कूल स्टार्टअप व ग्रामीण आई स्टार्ट** जैसी विशेष पहलें भी चलाई जा रही हैं।

7) राज SSO — सिंगल साइन-ऑन (Single Sign-On)

राज SSO (RajSSO)

 **परिभाषा :** "एक डिजिटल पहचान" (One Digital Identity) के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा मंच, जो राज्य सरकार के सभी एप्लिकेशन/सिस्टम तक केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करता है।

 **आसान भाषा में :** पहले हर सरकारी वेबसाइट/एप पर अलग-अलग यूजरनेम-पासवर्ड बनाना पड़ता था। अब SSO की मदद से सिर्फ एक बार लॉग-इन करने पर उपयोगकर्ता विभिन्न सरकारी एप्लिकेशनों पर काम कर सकता है — बार-बार अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है।

 **उदाहरण :** जैसे एक बार ईमेल में लॉग-इन करने पर गूगल की अन्य सभी सेवाएं (मैप्स, ड्राइव, यूट्यूब) अपने आप खुल जाती हैं — ठीक वैसे ही SSO से राजस्थान सरकार की सभी सेवाएं एक ही लॉग-इन से मिल जाती हैं।

 एकीकृत विभागीय एप्लिकेशन

604

(G2G: 368, G2C: 236)

 लाभान्वित नागरिक

3.29 करोड़+

(दिसंबर 2025 तक)

8) राज ई-वॉल्ट (Raj e-Vault)

राज ई-वॉल्ट विभिन्न सरकारी विभागों व नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (Document Management System) है, जो दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में संग्रहित रखने हेतु एक केंद्रीय भंडार का काम करती है।

- ▶ राज ई-वॉल्ट का **डिजिलॉकर (DigiLocker)** से भी एकीकरण किया गया है।
- ▶ कोई भी नागरिक अपनी **SSO ID** बनाकर राज ई-वॉल्ट एप्लिकेशन में लॉग-इन कर इसकी सेवाओं का लाभ उठा सकता है।

 संग्रहित दस्तावेज़

86 करोड़+

(दिसंबर 2025 तक)

 दैनिक अपलोड

~2 लाख

(दस्तावेज़/दिन)

9 राजस्थान AVGC-XR नीति, 2024

AVGC-XR

परिभाषा : Animation, Visual Effects, Gaming, Comics and Extended Reality — एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्र, जिसे संक्षेप में AVGC-XR कहा जाता है।

आसान भाषा में : यह नीति राजस्थान को एनिमेशन-फिल्में, वीडियो गेम, विशेष प्रभाव (VFX), कॉमिक्स और वर्चुअल/ऑगमेंटेड रियलिटी (XR) बनाने वाली कंपनियों के लिए एक प्रमुख केंद्र (हब) बनाने के मकसद से लाई गई है, ताकि इस बढ़ते हुए उद्योग में निवेश व रोज़गार दोनों बढ़ें।

उदाहरण : जैसे कोई कंपनी बच्चों के लिए एनिमेशन कार्टून बनाना चाहे, या कोई स्टूडियो मोबाइल गेम डिज़ाइन करना चाहे — तो इस नीति के तहत उसे राजस्थान में अनुदान, प्रशिक्षण व सिंगल-विंडो मंजूरी की सुविधा मिलेगी।

उद्देश्य : (1) AVGC-XR में निवेश आकर्षित कर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, और (2) युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित करना।

नीति के प्रमुख बिंदु

- (a) **वित्तीय प्रोत्साहन** — उत्पादन अनुदान (30% तक प्रतिपूर्ति) और स्टार्टअप्स के लिए वित्तपोषण।
- (b) **अवसंरचना विकास** — अटल इनोवेशन स्टूडियो, एक्सेलेरेटर, इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और उच्च-स्तरीय तकनीकी संसाधनों तक पहुंच।
- (c) **कौशल विकास** — कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु विश्वविद्यालयों व प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी।
- (d) **व्यापार-सुगमता (Ease of Doing Business)** — अनुमोदनों व प्रोत्साहनों के लिए समर्पित AVGC-XR सेल तथा एकल-खिड़की पोर्टल।
- (e) **सांस्कृतिक प्रोत्साहन** — राजस्थानी लोकगीतों पर आधारित सामग्री हेतु प्रोत्साहन तथा मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों के साथ सहयोग।
- (f) **शोध व विकास** — IP (बौद्धिक संपदा) निर्माण, नवाचार प्रयोगशालाओं व AVGC-XR सैंडबॉक्स के लिए समर्थन।

10 किसानों हेतु प्रमुख तकनीकी हस्तक्षेप

कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति ने खेती के तौर-तरीकों को काफी हद तक बदला है, जिससे उत्पादकता, टिकाऊपन (sustainability) व दक्षता में सुधार हुआ है।

राज-AIMS (Raj-AIMS)

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (DAM) के अंतर्गत **राजस्थान कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली (Raj-AIMS)** परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा :

डिजिटल तकनीकें

- ▶ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व मशीन लर्निंग (ML)
- ▶ रिमोट सेंसिंग व भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)
- ▶ ब्लॉकचेन तकनीक

फील्ड तकनीकें

- ▶ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन एग्रीकल्चर (IoT)
- ▶ एग्रीकल्चर रोबोट
- ▶ ड्रोन/अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV)

राज किसान साथी पोर्टल

कृषि योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन व प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु एकल-खिड़की एकीकृत पोर्टल — इसका लक्ष्य है **"Ease of Doing Farming"** (खेती करना आसान बनाना)।

 विकसित मॉड्यूल 150+ (40 योजनाओं के तहत)	 मोबाइल ऐप 11	 DBT हस्तांतरण ₹3,566 करोड़ (दिसंबर 2025 तक)	 लाइसेंस/पंजीयन जारी 2.10 लाख+ (कृषि-इनपुट डीलर/निर्माता)
---	---	---	--

- ▶ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसानों को **1.53 करोड़ से अधिक बीज मिनीकिट** तथा बीज/उर्वरक/कीटनाशकों के **1.35 लाख से अधिक गुणवत्ता-नियंत्रण नमूने** उपलब्ध कराए गए।
- ▶ **बीज मिनीकिट सहायता** — नई विकसित फसल किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों को निःशुल्क बीज मिनीकिट दिए जाते हैं। खरीफ व रबी सीजन 2025-26 में कुल **31.50 लाख बीज मिनीकिट** वितरित किए गए।

राज सहकार पोर्टल

सहकारिता विभाग द्वारा लागू किया गया एक एकीकृत मंच, जो उत्तरदायी व पारदर्शी प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। इसका उपयोग निम्न सेवाओं के लिए होता है :

 ऋण व मूल्य संबंधी सेवाएं ▶ अल्पकालिक फसल ऋण आवेदन ▶ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आवेदन ▶ ऑनलाइन भुगतान	 पंजीयन संबंधी सेवाएं ▶ नवीन सहकारी संस्था पंजीकरण ▶ NGO पंजीकरण ▶ खेल संघों का पंजीयन
---	--

राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP)

मत्स्य क्षेत्र के डिजिटलीकरण हेतु एक एकीकृत प्लेटफॉर्म, जो **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** का एक घटक है। दिसंबर 2025 तक कुल **5,841 मछुआरे/किसान** NFDP पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। यह पंजीकृत किसानों को साख सुविधाओं, प्रदर्शन अनुदान, मत्स्य सहकारिता के सुदृढीकरण तथा प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण जैसी सुविधाओं तक पहुंच सक्षम बनाएगा।

11 स्थानीय स्वशासन (LSG) की ऑनलाइन सेवाएं

स्थानीय स्वशासन विभाग एक समर्पित पोर्टल के ज़रिए राज्य के शहरी निवासियों को कई ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे :

- ▶ भवन निर्माण योजना (Building Plan) स्वीकृति, व्यापार लाइसेंस (Trade License) व इसका ऑटो-नवीनीकरण, फायर NOC, सीवर कनेक्शन।
- ▶ UD/संपत्ति कर, 90A अनुमति, मोबाइल टावर व OFC अनुमति, नाम-हस्तांतरण, साइनेज लाइसेंस, प्रॉपर्टी ID।
- ▶ लीज डीड (पट्टा), उप-विभाजन पुनर्गठन (subdivision reconstitution) तथा लीज मनी जमा जैसी सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
- ▶ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक **ई-ऑक्शन पोर्टल** भी विकसित किया गया है, जिससे नगर निकाय डिजिटल रूप से नीलामी आयोजित कर सकते हैं।

12 पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र

राज्य में प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने तथा एक अधिक समावेशी, पारदर्शी व जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए निम्न प्रमुख पहलें चलाई जा रही हैं :

4. राज-काज (Raj-Kaj)

🏆 प्रलेगशिप योजना | 📅 सतत/जारी कार्यक्रम

💡 परिचय	परंपरागत मैनुअल प्रणाली को डिजिटाइज़ कर, निर्णय-प्रक्रिया को बेहतर बनाने व परिचालन-दक्षता बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा विकसित एक डिजिटल ई-ऑफिस मंच।
✅ लाभ	कागज़-रहित (paperless) कामकाज, समय व संसाधनों की बचत, तथा डेटा-सुरक्षा, पारदर्शिता, तत्परता व जवाबदेही में वृद्धि। फाइल प्रबंधन, मानव-संसाधन प्रबंधन व कार्यालयों की विशेष कार्य-प्रक्रियाओं को भी स्वचालित व सुव्यवस्थित करता है।
📦 प्रमुख मॉड्यूल	IPR, PAR, NOC (अनापत्ति प्रमाण-पत्र), लीव (अवकाश), ई-फाइल व ई-डाक।
📊 प्रगति	दिसंबर 2025 तक 42 लाख से अधिक फाइलें बन चुकी हैं। 75 प्रशासनिक विभागों की 430 संस्थाओं के 60,000 से अधिक कार्यालयों में 10 लाख से अधिक उपयोगकर्ता राज-काज एप्लिकेशन से जुड़ चुके हैं।
🚀 आगे की राह	राज-काज संस्करण 2.0 विकसित किया जा रहा है। हाल ही में "कॉमन मास्टर्स" व "इम्मूनेबल प्रॉपर्टी रिटर्न" मॉड्यूल भी लाइव किए गए हैं।

📄 राज ई-साइन (Raj e-Sign)

कागज़-रहित पारदर्शी शासन की दिशा में एक बड़ा कदम — **आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण** के माध्यम से कभी भी, कहीं भी सुरक्षित, किफायती व पारदर्शी ऑनलाइन दस्तावेज़ हस्ताक्षर व सरकारी प्राधिकरण को सक्षम बनाता है।

✍️ ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन 50+ (आधार-आधारित ई-साइन उपयोग में)	📄 ई-साइन दस्तावेज़ 11.55 करोड़+ (दिसंबर 2025 तक)	📝 औसत दैनिक ई-साइन 70,000+ (दस्तावेज़/दिन)
---	---	---

✉️ राजमेल (RajMail)

राज्य के हर नागरिक के लिए **निःशुल्क ईमेल सेवा** — जिसमें स्थानीय भाषा में उपलब्ध वर्नाक्युलर ईमेल सेवा भी शामिल है, ताकि तकनीक और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बन सके। दिसंबर 2025 तक **57.48 लाख से अधिक खाते** बनाए जा चुके हैं।

🌐 राजनेट (RajNET) व RAJSWAN

राज्य ने **राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (RAJSWAN)** के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक अंतिम-छोर (last-mile) कनेक्टिविटी वाला एकीकृत नेटवर्क समाधान लागू किया है। इसी पहल के तहत जिला व ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में **वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (VC Room)** भी स्थापित की गई है। राज्य की **9,260 से अधिक ग्राम पंचायतों** में राजनेट के माध्यम से नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

💻 स्टेट पोर्टल (rajasthan.gov.in)

यह पोर्टल नागरिकों, सरकारी उपयोगकर्ताओं, व्यवसायों, पर्यटकों व प्रवासी भारतीयों के लिए सूचना व लेन-देन आधारित सरकारी सेवाओं का एकल स्रोत है। यह विभिन्न विभागों/संस्थानों/संगठनों/PSU/बोर्डों/योजनाओं के वेब पोर्टलों से भी सहजता से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2025 तक लगभग **93 लाख लोगों** ने पोर्टल पर आकर सेवाओं का लाभ उठाया।

🏢 स्टेट डेटा सेंटर (SDC)

e-गवर्नेंस एप्लिकेशनों की मेज़बानी के लिए राज्य स्तर पर एक भौतिक सुविधा उपलब्ध कराता है, जो शहरी व ग्रामीण — दोनों क्षेत्रों के हर नागरिक तक प्रभावी शासन पहुंचाने की राज्य सरकार की जवाबदेही व समावेशिता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

► कुल क्षमता — **800 रैक**।

- ▶ **भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर (RSDC-P4)** — अपटाइम टियर-IV प्रमाणित गोल्ड स्टैंडर्ड सुविधा (TCDD, TCFF व TCOS), जो 99.99% अपटाइम सुनिश्चित करती है।
- ▶ आपदा-पुनर्प्राप्ति (Disaster Recovery) हेतु **RSDC-DR साइट, जोधपुर** भी इसमें शामिल है।

अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ABHAY)

GPS व CCTV कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु — **7 संभागीय मुख्यालयों व 26 जिलों** में अभय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कुल **25,159 कैमरे** लगाए गए हैं।

 निगरानी व सुरक्षा ▶ वीडियो सर्विलांस सिस्टम ▶ डायल 100 कंट्रोल सिस्टम ▶ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम	 यातायात व स्थान-आधारित ▶ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ▶ व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम ▶ भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)
--	--

जिला प्रभारी सचिव

केंद्र व राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, परियोजनाओं, योजनाओं व बजटीय घोषणाओं की सतत व प्रभावी निगरानी तथा नागरिकों से जुड़े कार्यों की समय पर व गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, वरिष्ठ **भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)** अधिकारियों/सचिवों को **जिला प्रभारी सचिव** के रूप में नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड व संपर्क पोर्टल अवार्ड

लोक सेवकों व विभागों को उत्कृष्ट कार्य व नवाचारों के लिए प्रेरित करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु, **21 अप्रैल, 2025** को "लोक सेवा दिवस" के अवसर पर राजस्थान सरकार ने :

 CM एक्सीलेंस अवार्ड 6 अधिकारी + 3 विभाग	 संपर्क पोर्टल अवार्ड 9 अधिकारी + 4 विभाग (प्रभावी शिकायत निवारण हेतु)
--	---

से सम्मानित किया, जिसका नोडल विभाग **प्रशासनिक सुधार विभाग** है, तथा आवेदन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग है। इस अधिनियम से जुड़े पोर्टल के माध्यम से आम जनता विभिन्न विभागों से ज़रूरी जानकारी हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

राजस्थान सेंटर फॉर एप्लिकेशन डेवलपमेंट (RajCAD)

RajCAD को "कमिटमेंट एश्योर्ड डिलीवरी" (प्रतिबद्ध-आश्वासित डिलीवरी) की खासियत के साथ, क्षमता-निर्माण व कौशल-संवर्द्धन के एक नवाचारी मॉडल के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसने Python, ArcGIS, Flutter, AI/ML व Cloud जैसी उभरती तकनीकों को अपनाकर राज्य की आंतरिक IT क्षमता को काफी मजबूत किया है।

 वेब पोर्टल परियोजनाएं 20	 एनालिटिकल डैशबोर्ड/मॉड्यूल 107	 इन-हाउस मोबाइल ऐप 8
---	---	--

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) — राजधारा (RajDharaa)

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)

 **परिभाषा :** Geographical Information System — भौगोलिक स्थानों (नक्शों/भू-निर्देशांकों) से जुड़े डेटा के प्रबंधन व विश्लेषण के लिए एक निर्णय-समर्थन प्रणाली (Decision Support System)।

 **आसान भाषा में :** यह एक ऐसा डिजिटल नक्शा-आधारित सिस्टम है जो ज़मीन, भवन, सड़क, संपत्ति जैसी हर चीज़ की सटीक भौगोलिक जानकारी कंप्यूटर पर दिखाता व विश्लेषित करता है, जिससे सही फैसले लेना आसान हो जाता है।

 **उदाहरण :** जैसे किसी सड़क-निर्माण की योजना बनाते समय GIS से यह तुरंत पता चल जाता है कि रास्ते में कहां-कहां घर, खेत या नाले पड़ते हैं।

भू-स्थानिक (geospatial) डेटा के प्रबंधन व विश्लेषण हेतु राज्य-स्तरीय एकीकृत GIS प्लेटफॉर्म "**राजधारा (RajDharaa)**" की स्थापना की गई है। औद्योगिक ले-आउट योजनाओं में सहायता हेतु राजधारा को **रीको (RIICO) GIS प्लेटफॉर्म** के साथ भी एकीकृत किया गया है। राजधारा पहल के तहत निम्न समाधान उपलब्ध कराए गए हैं :

- ▶ विभिन्न विभागों व उपक्रमों की परिसंपत्तियों की **जियो-टैगिंग** हेतु मोबाइल एप्लिकेशन।
- ▶ पंजीयन व मुद्रांक विभाग के लिए **GIS आधारित DLC (जिला दर सूची) टैगिंग**।
- ▶ प्रशासनिक विभाग हेतु सड़क-सूचना सहित अन्य समाधान।
- ▶ जयपुर मास्टर डेवलपमेंट प्लान-2025 के अंतर्गत करीब **3,000 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र को शामिल कर उन्नत अवसंरचना, सीवरेज व ड्रेनेज योजना में सहयोग हेतु जयपुर का **3D सिटी मॉडल** विकसित किया गया है।
- ▶ विरासत स्मारकों के डिजिटल संरक्षण हेतु चयनित स्थलों का **3D स्कैन** कर वर्चुअल संरक्षण के मॉडल तैयार किए गए हैं — हवामहल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, सिटी पैलेस जयपुर, जयपुर परकोटा (आठ दरवाज़े), आमेर किला, सिटी पैलेस उदयपुर व कुंभलगढ़ किला।
- ▶ नागरिकों व प्रशासकों को भूमि उपयोग की पहचान, खसरा व भू-खंड स्वामित्व विवरण, पुलिस थाना/नगरपालिका वार्ड/ले-आउट प्लान जैसी परतें (layers) देखने हेतु **अर्बन GIS पोर्टल** लॉन्च किया गया है, जिससे सभी शहरों के मास्टर प्लान भी प्रकाशित किए जा रहे हैं।

ई-प्रोक्योरमेंट (GePNIC)

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य ने सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) सहित सभी सरकारी संगठनों के लिए **गवर्नमेंट ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (GePNIC)** लागू किया है। **अक्टूबर, 2011** में राज्य में इसकी शुरुआत के बाद से अब तक **327 से अधिक** विभागों व PSU ने इसे अपनाया है।

 प्रोसेस टेंडर (2025-26)

9.52 लाख+

 कुल मूल्य

₹1.59 लाख करोड़+

डेटा एनालिटिक्स

कर-अपवंचन (tax evasion) की पहचान कर तथा "कर आधार" में वृद्धि कर "कर राजस्व" बढ़ाने के उद्देश्य से यह परियोजना राजस्व अर्जित करने वाले विभागों — जैसे **वाणिज्यिक कर, परिवहन, खान व भूविज्ञान** में लागू की गई है। इसके अतिरिक्त **RGHS, जन आधार, ई-मित्र, राजस्थान संपर्क, IFMS, RTI** जैसी योजनाओं तथा **चिकित्सा व स्वास्थ्य, JDA, वन विभाग** जैसे अन्य विभागों में भी डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है, ताकि **डेटा-आधारित नीति निर्धारण व साक्ष्य-आधारित निर्णय** लेने को बढ़ावा मिल सके।

सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण

- ▶ सरकारी विभागों में IT पहलों के सफल क्रियान्वयन हेतु दिसंबर 2025 तक कुल **6,786 सरकारी अधिकारी व कर्मचारी** प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।
- ▶ **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)** के पाठ्यक्रमों की प्रतिपूर्ति — सरकारी क्षेत्र में IT कौशल विकास बढ़ाने हेतु, जिन सरकारी कर्मिकों ने वहां से **MCA पाठ्यक्रम** पूरा किया है, उनके शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- ▶ **राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL)** — राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्थापित, जो डिजिटल खाई (digital divide) को पाटने में मदद करता है। **RS-CIT** प्रशिक्षण पूर्ण करने पर सरकारी कर्मिकों को शुल्क-प्रतिपूर्ति दी जाती है।

13 राजस्थान AI/ML नीति, 2026

राजस्थान AI/ML नीति 2026 को 6 जनवरी, 2026 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में आयोजित "राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस" में लॉन्च किया गया। यह नीति सार्वजनिक सेवा वितरण को आधुनिक बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने, नवाचार को गति देने, रोज़गार के नए अवसर पैदा करने और AI के लाभों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराती है।

राज्य AI को एक परिवर्तनकारी शक्ति (transformative force) के रूप में देखता है, जो शहरी व ग्रामीण — दोनों समुदायों में प्रगति को तेज़ करेगी और "विकसित राजस्थान@2047" के दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान देगी।

 उद्देश्य 1 शासन में AI अपनाना	 उद्देश्य 2 उद्योगों हेतु AI प्रोत्साहन	 उद्देश्य 3 AI कौशल व क्षमता निर्माण
---	--	--

(ये तीनों उद्देश्य "नैतिक एवं जवाबदेह AI ढांचे" के दायरे में रखे गए हैं।)

- ▶ प्रत्येक सरकारी विभाग में एक **AI नोडल अधिकारी** नियुक्त किया जाएगा।
- ▶ राजस्थान में एक **AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस** की स्थापना की जाएगी।
- ▶ स्कूल, कॉलेज व ITI संस्थानों में AI से जुड़े प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

14 प्रभावी वित्तीय प्रबंधन — IFMS 3.0

वित्तीय शासन (Financial Governance) इस विश्वास पर आधारित है कि एक पारदर्शी व कानूनी रूप से मज़बूत लोक-वित्त प्रणाली, अच्छे शासन के व्यापक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। इसमें वित्तीय लेन-देन पर नज़र रखना, प्रदर्शन प्रबंधन, अनुपालन सुनिश्चित करना, परिचालन व खुलासे (disclosures) उपलब्ध कराना शामिल है।

राजस्थान ने अपनी बजटिंग व लेखांकन प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधन हेतु एक व्यापक तंत्र लागू किया है, जो **एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS)** के स्वचालित प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभव हुआ है।

IFMS (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली)

 **परिभाषा :** Integrated Financial Management System — राज्य सरकार की बजटिंग, लेखांकन, भुगतान व राजकोष (treasury) संबंधी सभी प्रक्रियाओं को एक ही डिजिटल मंच पर एकीकृत करने वाली स्वचालित प्रणाली।

 **आसान भाषा में :** सरकार का सारा पैसा कहां से आया, कहां खर्च हुआ, किसे भुगतान हुआ — यह सब कागज़ों की बजाय एक ही कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज होता है, जिससे हिसाब-किताब तुरंत व पारदर्शी तरीके से देखा जा सकता है।

 **उदाहरण :** जैसे किसी स्कूल के लिए बजट स्वीकृत होने से लेकर शिक्षक के वेतन-भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया अब IFMS के ज़रिए ऑनलाइन ट्रैक होती है, कागज़ी फाइलों में नहीं।

IFMS अपनाने से बजटिंग प्रक्रियाएं अधिक दक्ष हुई हैं, नकदी-प्रवाह प्रबंधन व खातों का वास्तविक-समय समाधान (real-time reconciliation) बेहतर हुआ है। इससे सूचना-प्रबंधन क्षमता मज़बूत हुई तथा लेखा तैयार करने में सटीकता व समयबद्धता बढ़ी है, साथ ही लोक-वित्त वितरण में पारदर्शिता व दक्षता को भी बल मिला है।

IFMS 3.0 की मुख्य विशेषताएं

विशेषता	विवरण
बजट प्रबंधन	बजट अनुमान, योजना, निगरानी, तैयारी, पुनर्स्वीकृति व मुख्य वर्गीकरण मैपिंग; बजट नियंत्रक प्राधिकरणों की मांगों की मैपिंग तथा सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) द्वारा बिल तैयार करना।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	SNA SPARSH के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण।
ई-भुगतान (E-Payments)	नियमों के अनुरूप, RBI से जुड़े हुए, तेज़ व पारदर्शी तरीके से भुगतान सुनिश्चित करना — नेट-बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI, NEFT व QR कोड भुगतान की सुविधा सहित; समाधान (reconciliation) हेतु इलेक्ट्रॉनिक राजकोष मंच भी उपलब्ध।
बैंकिंग लेन-देन	बैंक डिसबर्समेंट इंजन के माध्यम से सभी बैंकिंग लेन-देन दर्ज किए जाते हैं।
राजकोष नियंत्रण (Treasury Controls)	सटीक व कुशल वित्तीय लेन-देन सुनिश्चित करने हेतु राजकोष-जांच लागू।
ई-अकाउंट प्रस्तुतीकरण	सभी ई-वाउचर व खातों की सूची महालेखाकार (AG) कार्यालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है।
मास्टर डेटा प्रबंधन	कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, विक्रेताओं (vendors), लाभार्थियों, प्राधिकरणों व हितधारकों का मास्टर डेटा रख-रखाव।

IFMS एक "छाता मंच" (umbrella platform) की तरह काम करता है, जो आंतरिक व बाह्य — दोनों हितधारकों की सुविधा हेतु कई मॉड्यूलर प्रणालियों को एक साथ जोड़ता है। यह बजट अनुमान, बजट तैयारी, पूल बजट, राजकोष कार्य, ई-भुगतान, ई-बिल, ई-सैंक्शन, ई-रसीद, आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तथा ई-चालान — इन सभी को कवर करता है। साथ ही यह डेटा-प्रबंधन, ई-अकाउंट प्रस्तुतीकरण, ई-समाधान, बैंकों/RBI/महालेखाकार/लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली/विभागीय पोर्टलों/NSDL/NPCI के साथ एकीकरण, तथा सभी हितधारकों के बीच कागज़-रहित ई-प्रस्तुतीकरण को भी सक्षम बनाता है। वर्ष 2010-11 से बजट, वित्तीय व लेखा-संबंधी रिकॉर्ड्स का एक मज़बूत डेटाबेस तैयार होने के कारण, अब IFMS **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** के साथ एकीकरण के लिए भी तैयार है, जिससे राज्य तेज़ निर्णय-क्षमता, बेहतर पूर्वानुमान व मानवीय अतिरेक (redundancy) को कम कर वित्तीय संचालन व शासन को और अधिक कुशल बनाना चाहता है।

 निष्कर्ष रूप में :

राजस्थान में "प्रभावी शासन" की यह यात्रा — जन आधार जैसे एकीकृत डिजिटल पहचान-तंत्र से लेकर, IFMS 3.0 जैसी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और अब AI/ML नीति 2026 तक — दिखाती है कि राज्य किस तरह पारदर्शिता, जवाबदेही व तकनीक के सहारे हर नागरिक तक सेवाओं की समयबद्ध व सुलभ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

